

# महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला- टीकमगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005  
के अंतर्गत प्रस्तुत मैनुअल

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
टीकमगढ़ (म0प्र0)

# अध्याय – 1

## प्रस्तावना

### 1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 –

संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है जिसके अनुच्छेद 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाक्य स्वातंत्र्य का अधिकार नागरिकों को प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 (क) नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार अर्थात् अपने में पारदर्शी एवं सक्षम शासन को चलाने के लिए आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।

### 1.2 सूचना का अधिकार का उद्देश्य :-

नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यह सूचना का रिकार्ड, फाईलें, रजिस्टर्स, आंकड़े, रेखाचित्र, नमूना इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती है। अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवायें कौन कौन सी हैं, उनका लाभ कैसे और कब उठाया जा सकता है, आदि।

### 1.3 उपयोगी :-

सूचना का अधिकार पुस्तिका सभी आम नागरिकों/ व्यक्तियों/ संस्थानों/ अशासकीय संगठनों के लिये उपयोगी है क्योंकि सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

### 1.4 शब्दावली :- प्रस्तुति सरल भाषा है कोई विषिष्ट शब्दावली नहीं है।

### 1.5 आई.सी.डी.एस. – समेकित बाल विकास सेवा योजना

5.1 सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत विभागीय गतिविधियों की जानकारी से सर्व साधारण को परिचित कराना।

5.2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किन नियमों/ निर्देशों की जानकारी सर्व साधारण को उपलब्ध कराई जा सकती है, जानकारी कहां से प्राप्त होगी, शुल्क इत्यादि की जानकारी अवगत कराना।

5.3 सर्व साधारण मुख्य: आईसीडीएस/ पोषण आहार सेवा से लाभान्वित होने वाले हितग्राही जनप्रतिनिधि।

5.4 निर्धारित प्रारूप अनुसार

- 5.5 1. आईसीडीएस – एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
2. ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
3. ए.डब्ल्यू.एच. – आंगनवाड़ी सहायिका
4. ए.डब्ल्यू.सी.– आंगनवाड़ी केन्द्र
5. एस.एन.पी. – पूरक पोषण आहार

## 1.6 सम्पर्क सूत्र—

सूचना के अधिकार हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़ में जिला स्तर पर श्री बी.एल. प्रजापति, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है । परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ।

## 1.7 अतिरिक्त सूचना एवं शुल्क के लिए संपर्क सूत्र—

सूचना के अधिकार के संबंध में अतिरिक्त सूचना एवं शुल्क के संबंध में विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़ में जिला स्तर पर श्री बी.एस. राजपूत, परि. अधि., सहायक लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है तथा परियोजना स्तर पर परियोजना स्तर पर उपरोक्तानुसार ।

## अध्याय – 2— मैनुअल –1 संगठन की विषष्टियों , कृत्य एवं कर्तव्य

### 2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना
2. बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना ।
3. महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरखा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना ।
4. प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमि निभाना, ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके ।
5. महिलाओं की स्वायत्ता एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करते हुए उनकी स्थिति में निरंतर सुधार हेतु राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन का समन्वय ।

### 2.2 लोक प्राधिकरण का इतिहास –

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी संदर्भ में प्रदेश के मानव विकास प्रतिवेदन में जेन्डर सूचकांक तथा बच्चों के शाला प्रवेश, शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है । आजकल विकास की नवीनतम अवधारणा के अनुसार मानव विकास सूचकांक, विकास की गति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों की विकासशील स्थिति का मूल्यांकन भी इन्हीं सूचकांक के आधार पर करने लगे हैं । इन सूचकांकों में शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लाईफ एक्सपेक्टेन्सी एड वर्थ, साक्षरता दर, बच्चों का पोषण स्तर इत्यादि प्रमुख हैं । इन सूचकांकों के अनुसार हमारे मध्यप्रदेश की स्थिति पिछड़े स्थानों के बीच आती थी । इन बातों को देखते हुये भविष्य के नागरिकों के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की संकल्पना की गई । इस परियोजना को क्रियान्वित करने के साथ साथ महिला विकास की नई अवधारणा, जिसमें महिला कल्याण से ऊपर उठकर महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं को लागू करना निहित है, का क्रियान्वयन भी विभाग की जिम्मेदारी में शामिल हुआ है ।

## 2.3 लोक प्राधिकरण (महिला एवं बाल विकास विभाग) का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग :-

मध्यप्रदेश में 15 अगस्त, 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस संचालनालय को हस्तांतरित की गई । प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया ।

## 2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :-

महिलाओं और बच्चों की जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास के लिये योजनायें चलाना तथा विभिन्न विकास विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ।

## 2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :-

1. आईसीडीएस योजना का क्रियान्वयन ।
2. किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन
3. आयुष्मति योजना का क्रियान्वयन
4. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का क्रियान्वयन
5. जागृति शिविरों का आयोजन
6. अशासकीय संस्थाओं को मान्यता एवं राज्य शासन की स्वीकृति पश्चात अनुदान प्रदाय कराना ।
7. किशोरी शक्ति योजना
8. अति गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक सहायता ।
9. आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुचारु संचालन जिससे हितग्राही बच्चों एवं महिलाओं को आईसीडीएस सेवाओं का समुचित लाभ मिल सके ।
10. आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन में समुदाय की सहभागिता लेना जैसे- आंगनवाड़ी भवन की व्यवस्था, शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पूरक पोषण व्यवस्था में व्यवधान की स्थिति में समुदाय से महिलाओं एवं बच्चों हेतु पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करना । टीकाकरण, वजन लेने की प्रक्रिया में जनसमुदाय को सहभागी बनाना ।
11. आईसीडीएस एवं किशोरी शक्ति योजनाओं के पर्यवेक्षण तथा योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु विकासखण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी गई है ।
12. कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजे  
कार्यालय बन्द होने का समय सायंकाल 5.30 बजे

## 2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका विवरण

### समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

वर्तमान में टीकमगढ़ जिले के सभी 6 विकासखण्डों में छह परियोजनायें संचालित हैं । इन समेकित बाल विकास परियोजनाओं में से 4 विश्व बैंक सहायित परियोजनायें (टीकमगढ़, जतारा, पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी) तथा 2 सामान्य परियोजनायें (पलेरा एवं वल्देवगढ़) हैं । छह परियोजनाओं में कुल 832 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित हैं । इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 97169 हितग्राहियों को आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है ।

### आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड –

इस योजना के तहत भारत शासन के मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाते हैं । साथ ही पहाड़ी एवं मरुस्थलीय स्थानों पर 300 या अधिक की जनसंख्या पर भी आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनवाड़ी विहीन क्षेत्रों में भी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया गया है ।

योजना में यह भी प्रावधान है कि 300 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों/ टीलों को समीपस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र से संबद्ध किया जा सकता है ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार सेवायें समन्वित रूप से दी जाती हैं –

- 1. पूरक पोषण आहार –** 6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा साल में तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है । जिले में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निशुल्क पंजीरी के रूप में पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है । उक्त पोषण आहार में 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी उर्जा होना आवश्यक है । कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/ शिशुवती माताओं को दुगुनी मात्रा में पोषण आहार दिया जाता है ।
- 2. स्वास्थ्य जांच –** प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है । स्वास्थ्य जांच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है ।
- 3. संदर्भ सेवार्यें –** स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड/ जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है ।
- 4. टीकाकरण –** प्रति आंगनवाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह के कोई एक दिन टीकाकरण के लिये निर्धारित है । उक्त दिवस में ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है । टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों की स्वास्थ्य जांच भी की जाती है ।
- 5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा–** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट कराने का प्रावधान है । गृहभेंट के दौरान महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित भोजन के रूप में सलाह दी जाती है ।

6. **स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा**— आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है । बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे — जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है । बच्चों के खेलने हेतु खिलौनों का क्रय करने के लिए प्रति आंगनवाड़ी संचालनालय महिला बाल विकास भोपाल द्वारा प्रि-स्कूल किट उपलब्ध कराया जाता है ।

7. **स्वास्थ्य सेवायें** — महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित सेवायें पृथक से नहीं दी जाती हैं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को स्वास्थ्य संबंधी सेवायें देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है । आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवायें स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती हैं । महिला बाल विकास भोपाल द्वारा प्रति आंगनवाड़ी प्रति वर्ष एक मेडीसिन किट उपलब्ध कराया जाता है जिसमें सामान्य बीमारियों के प्राथमिक उपचार के लिए दवाईयां दी जाती हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उक्त दवाईयों का उपयोग ए.एन.एम. की मदद एवं मार्गदर्शन से किया जाता है ।

8. **भवन** — जिले में विश्व बैंक सहायित आईसीडीएस ।।। परियोजना अंतर्गत 19 आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें टीकमगढ़ एवं 19 हेण्डपंपों का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग टीकमगढ़ द्वारा किया जा रहा है । वर्तमान में 3 आंगनवाड़ी भवन एवं 12 हेण्ड पंपों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है ।

#### 9. **किशोरी शक्ति योजना** —

किशोरी शक्ति योजना 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल संतुलित भोजन व आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए जिले के सभी छह बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है । इस योजना के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये बालिकाओं के चयन हेतु निम्न मापदंड शासन द्वारा तय किये गये हैं —

1. बालिका आई.आर.डी.पी. वाले परिवार से हो ।
2. आईआरडीपी वाले परिवारों में सर्वप्रथम शाला त्यागी बालिका का प्राथमिकता दी जाये ।
3. उपरोक्त दोनों मापदंड पूरी करने वाली 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं का चयन प्रारंभ वर्ष में किया जाये ।

उपरोक्त मापदंड के अनुसार चयनित किशोरी बालिका की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है । इस योजना में विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण एवं पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाकर विभिन्न स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है । प्रशिक्षण के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरी बालिकाओं का चयन कर उनको 3 विभागीय पर्यवेक्षक, एएनएम तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है ।

प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य जीवनोपयोगी जानकारी भी दी जाती है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष भर में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षणों का आयोजन तीन-तीन माह के अंतराल पर दिये जाने का प्रावधान है । ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के समय ए.एन.एम. द्वारा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयरन फोलिक एसिड की गोलियों तथा आवश्यक होने पर डिवार्मिंग

गोलियों भी उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान में उक्त योजना जिले की सभी छह परियोजनाओं में संचालित की जा रही है ।

#### 10. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम –

टीकमगढ़ जिले में राज्य सरकार द्वारा छह एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 832 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार की व्यवस्था राज्य सरकार निधि से की जा रही है ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं एवं कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाता है । छह माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को 80 ग्राम पूरक पोषण आहार प्रतिदिन दिया जाता है जिसमें 300 कैलोरी उर्जा तथा 10 ग्राम प्रोटीन होता है । गर्भवती/ शिशुवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को 160 ग्राम प्रति हितग्राही प्रतिदिन दिया जाता है ।

**वर्तमान में टीकमगढ़ जिले की 832 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा रेडी टू ईट फूड इंडिया मिक्स (पंजीरी) पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है ।**

टीकमगढ़ शहरी क्षेत्र में विशेष पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 32 वितरण केन्द्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्र की गंदी बस्तियों एवं जरूरत मंद मोहल्लों में प्रतिदिन पका हुआ पोषण आहार स्व सहायता समूह कुंवरपुरा द्वारा प्रदाय किया जा रहा है ।

**11- उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम –** आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भाग है । यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से संचालित है । इस कार्यक्रम के माध्यम से आईसीडीएस की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सतत प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अंतर मूलभूत प्रशिक्षण एवं एक निश्चित समय अंतराल के बाद प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाता है । समेकित बाल विकास सेवा योजना में प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

2. सामुदायिक सहभागिता के लिए वातावरण का निर्माण करना ।

3. आंगनवाड़ी के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

4. आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जाना सुनिश्चित करना ।

5. मैदानी अमले को योजना की सेवाओं के संबंध में प्रत्यास्मरण एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन करते हुये सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखना ।

वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र सितम्बर 2000 से संचालित किया जा रहा है जिसमें जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जा चुका है । वर्तमान में संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के निर्देशानुसार टीकमगढ़ जिले के समीपस्थ जिले सागर की अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (षासन, जिला, ब्लॉक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा

जिला स्तरीय अधिकारी / कर्मचारी ढाँचा

कलेक्टर

जिला कार्यक्रम अधिकारी

पोषण आहार निरीक्षक

शाखा प्रभारी लिपिक

भृत्य एवं चौकीदार

विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी / कर्मचारी ढाँचा

परियोजना अधिकारी

सहायक परियोजना  
अधिकारी / सहायक  
सांख्यिकीय अधिकारी

शाखा प्रभारी लिपिक

पर्यवेक्षक / सहायक महिला  
बाल विकास विस्तार  
अधिकारी (मैदानी स्तर)

भृत्य एवं चौकीदार

ग्राम स्तरीय ढाँचा

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं  
सहायिका

**2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ –**

शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है , सूचना का अधिकार , अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर सहा0 लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

**2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/ व्यवस्था –**

शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है , सूचना का अधिकार , अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर सहा0 लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

**2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था –**

शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है , सूचना का अधिकार , अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर सहा0 लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

**2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते –**

शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है , सूचना का अधिकार , अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर सहा0 लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

**2.12 जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ संयुक्त कार्यालय कलेक्टर भवन के कमरा नं0 56**

**2.13 कार्यालय खुलने का समय – प्रातः10.30 बजे  
कार्यालय बंद होने का समय– सांय 5.30 बजे**

### अध्याय 3

#### 3.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण

पद का नाम		कलेक्टर
शक्तियां	प्रशासकीय	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार, अवकाश स्वीकृति के अधिकार ।
	वित्तीय	विभाग से जिले को प्राप्त आवंटन का वित्तीय अधिकार पुस्तिका के प्रावधानों एवं समय समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यय संबंधी कार्यवाही करने की शक्तियाँ ।
	अन्य	योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक निर्णय लेने व संबंधितों को निर्देश देने की शक्तियाँ
कर्तव्य	विभागीय योजनाओं का अपने मार्गदर्शन में क्रियान्वयन कराना ।	

पद का नाम	जिला कार्यक्रम अधिकारी
-----------	------------------------

शक्तियां	प्रशासकीय	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 30 दिवस के अवकाश स्वीकृति के अधिकार ।
	वित्तीय	आहरण,संवितरण अधिकारी के दायित्व निर्वहन की शक्तियाँ एवं कार्यालय प्रमुख के रूप में प्राप्त वित्तीय शक्तियाँ ।
	अन्य	शासन के मार्गदर्शन के अनुसार विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन बाबत अधीनस्त अमले को निर्देशित करना ।
कर्तव्य	प्रतिमाह का रोस्टर तैयार कर माह में कम से कम दो परियोजनाओं का निरीक्षण, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण, जिले में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की सांख्यिकी जानकारी तैयार कर मूल्यांकन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के पदों की पूर्ति, आंगनवाड़ी के सेवाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को पहुंचाना, निर्धारित प्रगति प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचाना, विभाग की योजनाओं के संचालन हेतु अन्य विभागों से समन्वय आदि ।	

पद का नाम	परियोजना अधिकारी	
शक्तियां	प्रशासकीय	विभागीय अमले पर नियंत्रण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की अनुषासिक अधिकारियों की शक्तियाँ ।
	वित्तीय	आहरण,संवितरण अधिकारी के दायित्व निर्वहन की शक्तियाँ एवं परियोजना प्रमुख के रूप में प्राप्त वित्तीय शक्तियाँ ।
	अन्य	शासन, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन के अनुसार विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन बाबत अधीनस्त अमले को निर्देशित करना ।
कर्तव्य	आई.सी.डी.एस. की प्रमुख कार्यकारिणी के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की समस्त योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियां सुनिश्चित करना, परियोजना में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना, रिकार्ड का उचित रखरखाव, सभी केन्द्रों में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आईसीडीएस की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, सेवाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, वरिष्ठ कार्यालयों को प्रगति प्रतिवेदन भेजना ।	

## अराजपत्रित

पद का नाम	सहायक परियोजना अधिकारी / सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / पोषण आहार निरीक्षक / पर्यवेक्षक / सहायक वर्ग-1 / सहायक वर्ग-2 / सहायक वर्ग-3 / वाहन चालक / भृत्य / चौकीदार
-----------	--

शक्तियां	प्रशासकीय	– निरंक
	वित्तीय	– निरंक
	अन्य	– निरंक
कर्तव्य	<p>1- सहायक सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा परियोजना की क्षेत्रीय जानकारी, लक्ष्य की उपलब्धि की रिपोर्टिंग एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रेषित करना आदि ।</p> <p>2- सहायक परियोजना अधिकारी परियोजना अधिकारी के अधीनस्थ उनके द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं जैसे- निरीक्षण, पर्यवेक्षण, एवं विभिन्न बैठकों एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदनों संबंधित जानकारी का संकलन एवं जांच कर प्रेषित करवाना आदि ।</p> <p>3-पोषण आहार निरीक्षक जिले में निर्धारित क्षेत्र में भ्रमण कार्य, खाद्यान्न की व्यवस्था, निरीक्षण एवं मानदेय आदि का भुगतान की व्यवस्था एवं खाली बारदाने की विक्री आदि कार्य ।</p> <p>4- पर्यवेक्षक – आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण/ मानदेय का भुगतान कराना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की जानकारी प्रस्तुत करना एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय एवं जिला स्तर पर आयोजित जिला अधिकारी के निर्देशानुसार बैठकों में भाग लेना आदि ।</p> <p>5- सहायक वर्ग-1,2,3- जिला अधिकारी के निर्देशानुसार लिपिकीय कार्य का संपादन एवं अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को करना ।</p> <p>6- वाहन चालक- जिला/ विकासखण्ड स्तर पर अधिकारी को आवंटित वाहन को निर्देशानुसार संचालन करना आदि ।</p> <p>7- भृत्य/ चौकीदार – अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से संपन्न करना ।</p>	

## अध्याय 4

- 4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची

अभिलेख का नाम :- अधिकारी/कर्मचारी सेवा अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–	अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी,पेंशन,अवकाश,सेवा निवृत्ति एवं अनुषासनात्मक कार्यवाही का अभिलेख
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है	– पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़ म.प्र. दूरभाष– 07683 –242257
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क	– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार

अभिलेख का नाम :- निर्माण संबंधी अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–	आंगनवाड़ी भवन निर्माण ।
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है	– पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़ म.प्र. दूरभाष– 07683 –242257
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क	– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार

अभिलेख का नाम :- कय संबंधी अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–	विभाग के लिये कय की जाने वाली सामग्री संबंधी अभिलेख
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है	– पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़ दूरभाष– 07683 –242257
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क	– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार
अभिलेख का नाम :- पोषण आहार संबंधी अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–	आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये क्रय किये जाने वाले पूरक पोषण आहार संबंधी अभिलेख
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है	– पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़ दूरभाष– 07683 –242257
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क	– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार

अभिलेख का नाम :- जी.पी.एफ/डी.पी.एफ. संबंधी अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का जी.पी.एफ/डी.पी.एफ.संबंधी अभिलेख	
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीममगढ़ म.प्र. दूरभाष क्रमांक – 07683–242257	
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार	

अभिलेख का नाम :- अनुदान . संबंधी अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– शासन द्वारा नियत योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान संबंधी अभिलेख	
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीममगढ़ म.प्र. दूरभाष क्रमांक – 07683–242257	
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार	

अभिलेख का नाम :- विभागीय योजनाओं संबंधी अभिलेख	अभिलेख का प्रकार – अभिलेख
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– विभागीय योजनाओं से संबंधी अभिलेख	
अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकती है पता– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास टीममगढ़ म.प्र. दूरभाष क्रमांक – 07683–242257	
अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार	

## अध्याय 5 (मैनियुल –4)

### नीति निर्धारण हेतु

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है तो व्यवस्था का विवरण:-

लोक प्राधिकरण द्वारा निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है ।

### नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से/ की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है ।

## अध्याय 6

### लोक प्राधिकारी के पास उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

#### 6.1 लोक प्राधिकरण के पास शासकीय दस्तावेज उपलब्ध संबंधी विवरण

क्रमांक	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	स्थापना संबंधी दस्तावेज	कर्मचारी का सेवा अभिलेख	सूचना का अधिकार नियम 2005 के प्रावधान अनुसार	संबंधित शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध
2	निर्माण संबंधी दस्तावेज	शासन द्वारा स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज/ अनुदेश /निर्देश /नियम	सूचना का अधिकार नियम 2005 के प्रावधान अनुसार	संबंधित शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध
3	भण्डार संबंधी दस्तावेज	कार्यालयीन उपयोग हेतु कय की गई सामग्री संबंधी दस्तावेज/ अनुदेश/निदेश /नियम	सूचना का अधिकार नियम 2005 के प्रावधान अनुसार	संबंधित शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध
4	पूरक पोषण आहार संबंधी दस्तावेज	आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये प्रदाय पूरक पोषण आहार संबंधी दस्तावेज/ अनुदेश/ निर्देश/ नियम	सूचना का अधिकार नियम 2005 के प्रावधान अनुसार	संबंधित शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध
5	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	शासन द्वारा स्वीकृत अशासकीय संस्थाओं को दिये गये अनुदान संबंधी दस्तावेज/ अनुदेश/ निर्देश/ नियम	सूचना का अधिकार नियम 2005 के प्रावधान अनुसार	संबंधित शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध
6	लेखा	कार्या0 बजट लेखा / आवंटन / मासिक व्यय पत्रक /अधिकारी/कर्मचारियों के जी.पी. एफ/ डी.पी.एफ. संबंधी दस्तावेज/ अनुदेश/ निर्देश /नियम	सूचना का अधिकार नियम 2005 के प्रावधान अनुसार	संबंधित शाखा प्रभारी के पास उपलब्ध

## अध्याय 7

## 7.1 लोक प्राधिकरण से संबद्ध समितियों का संक्षिप्त विवरण

- 0 संबद्ध संस्था का नाम एवं पता – महिला उत्पीडन समिति
- 0 संबद्ध संस्था का प्रकार – समिति
- 0 संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय – महिला उत्पीडन मामलों की समीक्षा एवं अनुश्रवण
- 0 संबद्ध संस्था की भूमिका – अन्य
- 0 स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य – गठित, सदस्य संख्या-
- 0 मुख्य अधिकारी का नाम –
- 0 मुख्य कार्यालय एवं अन्य – जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़
- 0 बैठक की आवृत्ति – प्रति त्रैमास

---

## अध्याय 8

8.1 लोक प्राधिकरण का नाम : जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास टीकमगढ़  
लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी.एल. प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	07683	242257	244529	-	-	महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़

### सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री भरत सिंह राजपूत	परि. अधि. टीकमगढ़	07683	240184	247266	-	-	महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़

### विभागीय अपीलीय अथोरटी

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री मनीष श्रीवास्तव	कलेक्टर	07683	242250	242251	242700	-	संयुक्त जिला कार्यालय भवन टीकमगढ़

### विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी :-

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री भरत सिंह राजपूत	परियोजना अधिकारी	07683	240184	247266	-	-	बाल विकास परियोजना, न्यायालय परिसर के पास टीकमगढ़
2.	श्रीमति राजकुमारी एल्वर्ट	पर्यवेक्षक (प्रभारी परि.अधि.)	07684	275403	07683- 240650	-	-	बाल विकास परियोजना वल्देवगढ़, विकासखण्ड प्रांगण वल्देवगढ़
3.	श्री डी.के. दीक्षित	परियोजना अधिकारी	07681	254186	255043	-	-	बाल विकास परियोजना जतारा, विकासखण्ड प्रांगण जतारा
4.	श्री एस.सी. द्विवेदी	पर्यवेक्षक (प्रभारी परि.अधि.)	07681	250703	245497	-	-	बाल विकास परि. पलेरा, विकासखण्ड प्रांगण पलेरा
5.	श्री संजय कुमार खरे	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	07680	233793	232040	-	-	बाल विकास परियोजना पृथ्वीपुर, विकासखण्ड प्रांगण पृथ्वीपुर
6.	श्री पी. सी. मण्डलोई	परियोजना अधिकारी	07680	232253	-	-	-	बाल विकास परियोजना निवाड़ी, विकासखण्ड प्रांगण निवाड़ी

### सहायक लोक सूचना अधिकारी :-

क.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री राम नारायण त्रिपाठी	सहायक वर्ग-3	07683	240184	-	-	-	बाल विकास परियोजना, न्यायालय परिसर के पास टीकमगढ़
2.	श्री वहीद खान	पर्यवेक्षक	07684	275403	242377	-	-	बाल विकास परियोजना वल्देवगढ़, विकासखण्ड प्रांगण वल्देवगढ़
3.	श्री अंबिका प्रसाद कौल	सहायक वर्ग-3	07681	254186	-	-	-	बाल विकास परियोजना जतारा, विकासखण्ड प्रांगण जतारा
4.	श्री अशोक कुमार खरे	सहायक वर्ग-3	07681	250703	-	-	-	बाल विकास परियोजना पलेरा, विकासखण्ड प्रांगण पलेरा
5.	श्री नंद किशोर सक्सेना	सहायक वर्ग-3	07680	233793	-	-	-	बाल विकास परियोजना पृथ्वीपुर, विकासखण्ड प्रांगण पृथ्वीपुर
6.	श्री मिथला कोरी	सहायक वर्ग-3	07680	232253	-	-	-	बाल विकास परियोजना निवाड़ी, विकासखण्ड प्रांगण निवाड़ी

### विभागीय अपीलीय अथोरटी

क.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी. एल. प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	07683	242257	244529	-	-	महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़

- 9.1. शासन के नियम निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है ।
- 9.2— किसी बिषय/किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित प्रक्रिया— शासन/विभाग के नियम एवं दिषा निर्देशों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी निर्णय/कार्यवाही जिलास्तर पर की जाती है। निर्णय हेतु नस्ती का प्रारंभ कार्यालयीन शाखा प्रभारी द्वारा किया जाता है तथा उनपर विभिन्न स्तरों पर विहित शक्तियों के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती है यथा—जिला कार्यक्रम अधिकारी, कलेक्टर, जिले के माननीय प्रभारी मंत्री आदि ।
- 9.3— लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था— निर्णय जनता तक पहुंचाने के लिये प्रचार—प्रसार, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने आदि की व्यवस्था है ।
- 9.4— विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है— विभिन्न स्तरों पर यथा स्थिति विहित शक्तियों के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, कलेक्टर, माननीय प्रभारी मंत्री, विभागाध्यक्ष/शषासन की संस्तुति प्राप्त की जाती /जा सकती है ।
- 9.5— अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी— अंतिम निर्णय विभिन्न विषयों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर होते है । क्योकि निर्णय संबंधी विषिष्ट शक्तियां विभिन्न स्तर पर प्रदत्त है । यथा— जिला कार्यक्रम अधिकारी, कलेक्टर, मान्0 प्रभारीमंत्री एवं शासन ।

10-अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

जिला कार्यालय – महिला एवं बाल विकास टीकमगढ़

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री बी.एल.प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	07683	242257	244529	—	—	संयुक्त जिला कार्यालय टीकमगढ़
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	पोषण आहार निरीक्षक	07683	242257				तदैय
3.	श्री आर.के. पटैरिया	सहायक वर्ग-2	07683	242257	242416			तदैय
4.	श्री महेश कुमार झांझोट	सहायक वर्ग-3	07683	242257	242352	—	—	तदैय
5.	श्री मनोज कुमार भामरी	सहायक वर्ग-3	07683	242257	242624	—	—	तदैय
6.	श्रीमती करुणा कांति एक्का	सहायक वर्ग-3	07683	242257	—	—	—	तदैय
7.	श्रीमती कंचन सोनी	सहायक वर्ग-2	07683	242257	—	—	—	तदैय
8.	श्रीमती रेखा मिश्रा	आडीटर	07683	242257	243244	—	—	तदैय
9.	श्री एम.एल. जड़िया	सहायक वर्ग-2	07683	242257	240720	—	—	तदैय
10.	श्री रमेश चन्द्र यादव	सहायक वर्ग-3	07683	242257	—	—	—	तदैय
11.	श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव	कनिष्ठ निर्देशिका	07683	242257	—	—	—	तदैय
12.	श्री शेख कुन्नु	वाहन चालक	07683	242257		—	—	तदैय
13.	श्री कमला प्रसाद रैकवार	भृत्य	07683	242257	—	—	—	तदैय
14.	श्री रामदास कुशवाहा	भृत्य	07683	242257	—	—	—	तदैय
15.	श्री रतिराम रैकवार	चौकीदार	07683	242257	—	—	—	तदैय
16.	श्री सुरेश कटारे	भृत्य	07683	242257	—	—	—	तदैय
17.	श्री नारायणदास अहिरवार	भृत्य	07683	242257	—	—	—	तदैय
18.	श्रीमती साधना रैकवार	भृत्य	07683	242257	—	—	—	तदैय

बाल विकास परियोजना टीकमगढ़

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई- मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री भरतसिंह राजपूत	परियोजना अधिकारी	07683	240184	247266	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
2	श्री रामनारायण त्रिपाठी	सहायक वर्ग-3	07683	240184	—	—	—	परि.कार्या. टीकमगढ़
3	श्री पारसनाथ भगत	वाहन चालक	07683	240184	—	—	—	परि.कार्या. टीकमगढ़
4.	श्री हरगोविंद कुशवाहा	भृत्य	07683	240184	—	—	—	परि.कार्या. टीकमगढ़
5.	श्री कमलेश कुमार यादव	दै.भो.	07683	240184	—	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
6.	श्रीमती संगीता सिरवैया	पर्यवेक्षक	07683	240184	240051	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
7.	श्रीमती हेमलता जैन	पर्यवेक्षक	07683	240184	244707	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
8.	श्रीमती रेखा जैन	पर्यवेक्षक	07683	240184	240975	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
10.	श्रीमती इन्द्रा जैन	पर्यवेक्षक	07683	240184	240006	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
11.	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक	07683	240184	244800	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
12.	श्रीमती सुमन त्रिपाठी	पर्यवेक्षक	07683	240184	244043	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़
13.	श्रीमती रमाकांती खरे	स.म.बा.वि.वि. अधिकारी	07683	240184	246135	—	—	परि. कार्या. टीकमगढ़

### बाल विकास परियोजना वल्देवगढ़

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई- मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्रीमति राजकुमारी एल्वर्ट	पर्यवेक्षक (परि. अधिकारी)	07684	275403	240650	—	—	परि. कार्या. वल्देवगढ़
2	श्रीमति शान्ति खरे	पर्यवेक्षक	07684	275403	246533	—	—	तदैव
3	श्री वहीद खान	पर्यवेक्षक	07684	275403	242377	—	—	तदैव
4.	श्रीमति राधा सक्सेना	पर्यवेक्षक	07684	275403	09425474087	—	—	तदैव
5.	श्रीमति शांति अहिरवार	स.म.बा.वि. अधि.	07684	275403	244225	—	—	तदैव
6.	श्री गणेश प्रसाद दीक्षित	सहायक वर्ग-3	07684	275403	—	—	—	तदैव
7.	श्री रमेश अहिरवार	वाहन चालक	07684	275403	—	—	—	तदैव
8.	श्री बिहारीलाल अहिरवार	भृत्य	07684	275403	—	—	—	तदैव
10.	श्री संतोष सौर	दैवेभो. चौकीदार	07684	275403	—	—	—	तदैव

### बाल विकास परियोजना जतारा

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री डी.के.दीक्षित	परियोजना अधि.	07681	254186	255043	—	—	परि.कार्या.जतारा
2.	श्री अंबिका प्रसाद कौल	सहा.वर्ग-3	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
3.	श्री राघवेन्द्र सिंह	पर्यवेक्षक	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
4.	श्रीमति दीप्ति पाण्डेय	पर्यवेक्षक	07681	254186	242053	—	—	परि.कार्या.जतारा
5.	श्रीमति चम्पा बाई जैन	पर्यवेक्षक	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
6.	श्रीमति रीता सहाय	पर्यवेक्षक	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
7.	श्रीमति लीना घोस	पर्यवेक्षक	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
8.	श्रीमति रामकुमारी नायक	स.म.बा.वि.अधि.	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
9.	श्रीमति प्रेमवती यादव	स.म.बा.वि.अधि.	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
10.	श्री नरेश अग्रवाल	वाहन चालक	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
11.	श्री श्याम लाल सौर	भृत्य	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा
12.	श्री गोविन्द दास सौर	भृत्य	07681	254186		—	—	परि.कार्या.जतारा

### बाल विकास परियोजना पलेरा

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री एस.सी. द्विवेदी	पर्यवेक्षक (प्र. परि.अधिकारी)	07681	252703	—	—	—	परि. कार्या.पलेरा
2.	श्री हरवंश सिंह	पर्यवेक्षक	07681	252703		—	—	
3.	श्री रमेश कुमार शुक्ला	पर्यवेक्षक	07681	252703	240241	—	—	
4.	श्री अशोक कुमार खरे	सहा.वर्ग-3	07681	252703		—	—	
5.	श्रीमति उमा खरे	स.म.बा.वि.अधि.	07681	252703		—	—	
6.	श्रीमति हर्षकुमारी बुन्देला	स.मा.बा.वि.अधि.	07681	252703		—	—	
7.	श्री नंद किशोर भटनागर	भृत्य	07681	252703		—	—	
8.	हरिओम मिश्रा	दैवेभो चौकीदार	07681	252703		—	—	

### बाल विकास परियोजना पृथ्वीपुर

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री संजय कुमार खरे	सहा.सांख्य.अधि. (प्र.परि.अधि.)	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
2.	श्री नंद कुमार सक्सेना	सहा.वर्ग-3	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
3.	श्री एच.सी. विश्वकर्मा	पर्यवेक्षक	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
4.	श्रीमति शशिकिरण यादव	पर्यवेक्षक	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
5.	.. फूलादेवी अहिरवार	पर्यवेक्षक	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
6.	.. मेरी एक्का	पर्यवेक्षक	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
7.	श्रीमति उर्मिला अहिरवार	स.म.बा.वि.अधि.	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
8.	श्रीमति गायत्री देवी	स.म.बा.वि.अधि.	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
9.	श्री सुधीर नापित	वाहन चालक	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
10.	श्री रामानंद तिवारी	भृत्य	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर
11.	श्री राम लाल पाल	दैवेभो चौकीदार	07680	233793	0	0	0	परि.कार्या.पृथ्वीपुर

### बाल विकास परियोजना निवाड़ी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री पी.सी. मण्डलोई	परि. अधिकारी	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
2.	श्री जे.पी. सिंह	पर्यवेक्षक	07680	232253	232818	—	—	
3.	श्रीमति मंगली पाण्डेय	पर्यवेक्षक	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
4.	श्रीमति पुष्पा अहिरवार	स.म.बा.वि.अधि.	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
5.	श्रीमति सुषमा वर्मा	स.म.बा.वि.अधि.	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
6.	श्रीमति मिथला कोरी	सहा.वर्ग-3	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
7.	श्री रामसेवक	वाहन चालक	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
8.	श्री विद्याधर अहिरवार	भृत्य	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी
9.	श्री महेन्द्र बरार	दैवेभो चौकीदार	07680	232253	—	—	—	परि.कार्या.निवाड़ी

### अध्याय 11 (मैनुअल -10)

11- प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति  
जिला कार्यालय- महिला एवं बाल विकास विभाग टीकमगढ़

क्रमांक	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री बी.एल.प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	10650	-	शासन द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले भत्ते
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	पोषण आहार निरीक्षक	7000	-	उपरोक्तानुसार
3.	श्री आर.के. पटैरिया	सहायक वर्ग-2	4800	-	उपरोक्तानुसार
4.	श्री महेश कुमार झांझोट	सहायक वर्ग-3	3875	-	उपरोक्तानुसार
5.	श्री मनोज कुमार भामरी	सहायक वर्ग-3	3575	-	उपरोक्तानुसार
6.	श्रीमती करुणा कांति एक्का	सहायक वर्ग-3	3650	-	उपरोक्तानुसार
7.	श्रीमती कंचन सोनी	सहायक वर्ग-2	4700	-	उपरोक्तानुसार
8.	श्रीमती रेखा मिश्रा	आडीटर	4700	-	उपरोक्तानुसार
9.	श्री एम.एल. जड़िया	सहायक वर्ग-2	6250	-	उपरोक्तानुसार
10.	श्री रमेश चन्द्र यादव	सहायक वर्ग-3	3575	-	उपरोक्तानुसार
11.	श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव	कनिष्ठ निर्दे0	4620	-	उपरोक्तानुसार
12.	श्री शेख कुन्नु	वाहन चालक	3800	-	उपरोक्तानुसार
13.	श्री कमला प्रसाद रैकवार	भृत्य	3275	-	उपरोक्तानुसार
14.	श्री रामदास कुशवाहा	भृत्य	3275	-	उपरोक्तानुसार
15.	श्री रतिराम रैकवार	चौकीदार	3275	-	उपरोक्तानुसार
16.	श्री सुरेश कटारे	भृत्य	3200	-	उपरोक्तानुसार
17.	श्री नारायणदास अहिरवार	भृत्य	2550	-	उपरोक्तानुसार
18.	श्रीमती साधना रैकवार	भृत्य	3140	-	उपरोक्तानुसार

बाल विकास परियोजना टीकमगढ़

क.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री भरतसिंह राजपूत	परियोजना अधिकारी	6750	-	उपरोक्तानुसार
2.	श्री रामनारायण त्रिपाठी	सहायक वर्ग-3	3275	-	उपरोक्तानुसार
3.	श्री पारसनाथ भगत	वाहन चालक	3725	-	उपरोक्तानुसार
4.	श्री हरगोविंद कुशवाहा	भृत्य	2960	-	उपरोक्तानुसार
5.	श्री कमलेश कुमार यादव	दै.वे.भो.	2308	-	उपरोक्तानुसार
6.	श्रीमती संगीता सिरवेया	पर्यवेक्षक	6875	-	उपरोक्तानुसार
7.	श्रीमती हेमलता जैन	पर्यवेक्षक	6875	-	उपरोक्तानुसार
8.	श्रीमती रेखा जैन	पर्यवेक्षक	6125	-	उपरोक्तानुसार
10.	श्रीमती इन्द्रा जैन	पर्यवेक्षक	6250	-	उपरोक्तानुसार
11.	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक	6125	-	उपरोक्तानुसार
12.	श्रीमती सुमन त्रिपाठी	पर्यवेक्षक	6250	-	उपरोक्तानुसार
13.	श्रीमती रमाकांती खरे	स.म.बा.वि.अधि.	4140	-	उपरोक्तानुसार

बाल विकास परियोजना वल्देवगढ़

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्रीमति राजकुमारी एल्वर्ट	पर्यवेक्षक (परि.अधिकारी)	5700	—	उपरोक्तानुसार
2.	श्रीमति शान्ति खरे	पर्यवेक्षक	6250	—	उपरोक्तानुसार
3.	श्री वहीद खान	पर्यवेक्षक	5800	—	उपरोक्तानुसार
4.	श्रीमति राधा सक्सेना	पर्यवेक्षक	5800	—	उपरोक्तानुसार
5.	श्रीमति शांति अहिरवार	स.म.बा.वि.अधि.	5000	—	उपरोक्तानुसार
6.	श्री गणेश प्रसाद दीक्षित	सहायक वर्ग-3	3050	—	उपरोक्तानुसार
7.	श्री रमेश अहिरवार	वाहन चालक	3500	—	उपरोक्तानुसार
8.	श्री बिहारीलाल अहिरवार	भृत्य	3140	—	उपरोक्तानुसार
10.	श्री संतोष सौर	दैवेभो. चौकीदार	2308	—	उपरोक्तानुसार

### बाल विकास परियोजना जतारा

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री डी.के.दीक्षित	परियोजना अधि.	7950	—	उपरोक्तानुसार
2.	श्री अंबिका प्रसाद कौल	सहा.वर्ग-3	3200	—	उपरोक्तानुसार
3.	श्री राघवेन्द्र सिंह	पर्यवेक्षक	6875	—	उपरोक्तानुसार
4.	श्रीमति दीप्ति पाण्डेय	पर्यवेक्षक	6250	—	उपरोक्तानुसार
5.	श्रीमति चम्पा बाई जैन	पर्यवेक्षक	5600	—	उपरोक्तानुसार
6.	श्रीमति रीता सहाय	पर्यवेक्षक	6375	—	उपरोक्तानुसार
7.	श्रीमति लीना घोस	पर्यवेक्षक	6250	—	उपरोक्तानुसार
8.	श्रीमति रामकुमारी नायक	स.म.बा.वि.अधि.	4140	—	उपरोक्तानुसार
9.	श्रीमति प्रेमवती यादव	स.म.बा.वि.अधि.	4140	—	उपरोक्तानुसार
10.	श्री नरेश अग्रवाल	वाहन चालक	3725	—	उपरोक्तानुसार
11.	श्री श्याम लाल सौर	भृत्य	2960	—	उपरोक्तानुसार
12.	श्री गोविन्द दास सौर	भृत्य	3140	—	उपरोक्तानुसार

### बाल विकास परियोजना पलेरा

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री एस.सी. द्विवेदी	पर्यवेक्षक (प्र. परि.अधिकारी)	7000	—	उपरोक्तानुसार
2.	श्री हरवंश सिंह	पर्यवेक्षक	7000	—	उपरोक्तानुसार
3.	श्री रमेश कुमार शुक्ला	पर्यवेक्षक	7000	—	उपरोक्तानुसार
4.	श्री अशोक कुमार खरे	सहा.वर्ग-3	3200	—	उपरोक्तानुसार
5.	श्रीमति उमा खरे	स.म.बा.वि.अधि.	4140	—	उपरोक्तानुसार
6.	श्रीमति हर्षकुमारी बुन्देला	स.म.बा.वि.अधि.	4140	—	उपरोक्तानुसार
7.	श्री नंद किशोर भटनागर	भृत्य	2960	—	उपरोक्तानुसार
8.	हरिओम मिश्रा	दैवेभो चौकीदार	2308	—	उपरोक्तानुसार

### बाल विकास परियोजना पृथ्वीपुर

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री संजय कुमार खरे	सहा.सांख्य.अधि. (प्र. परि.अधि.)	7900	—	उपरोक्तानुसार
2.	श्री नंद कुमार सक्सेना	सहा.वर्ग-3	3820	—	उपरोक्तानुसार
3.	श्री एच.सी. विश्वकर्मा	पर्यवेक्षक	7000	—	उपरोक्तानुसार
4.	श्रीमति शशिकिरण यादव	पर्यवेक्षक	7000	—	उपरोक्तानुसार
5.	„ फूलादेवी अहिरवार	पर्यवेक्षक	6750	—	उपरोक्तानुसार
6.	„ मेरी एक्का	पर्यवेक्षक	4500	—	उपरोक्तानुसार
7.	श्रीमति उर्मिला अहिरवार	स.म.बा.वि.अधि.	4140	—	उपरोक्तानुसार
8.	श्रीमति गायत्री देवी	स.म.बा.वि.अधि.	4060	—	उपरोक्तानुसार
9.	श्री सुधीर नापित	वाहन चालक	3575	—	उपरोक्तानुसार
10.	श्री रामानंद तिवारी	भृत्य	3150	—	उपरोक्तानुसार
11.	श्री राम लाल पाल	दैवेभो. चौकीदार	2308	—	उपरोक्तानुसार

### बाल विकास परियोजना निवाड़ी

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री पी.सी. मण्डलोई	परि. अधिकारी	8300	—	उपरोक्तानुसार
2.	श्री जे.पी. सिंह	पर्यवेक्षक	5000	—	उपरोक्तानुसार
3.	श्रीमति मंगली पाण्डेय	पर्यवेक्षक	4000	—	उपरोक्तानुसार
4.	श्रीमति पुष्पा अहिरवार	स.म.बा.वि.अधि.	4900	—	उपरोक्तानुसार
5.	श्रीमति सुषमा वर्मा	स.म.बा.वि.अधि.	4600	—	उपरोक्तानुसार
6.	श्रीमति मिथला कोरी	सहा.वर्ग-3	3650	—	उपरोक्तानुसार
7.	श्री रामसेवक	वाहन चालक	3950	—	उपरोक्तानुसार
8.	श्री विद्याधर अहिरवार	भृत्य	2960	—	उपरोक्तानुसार
9.	श्री महेन्द्र बरार	दैवेभो चौकीदार	2308	—	उपरोक्तानुसार

## अध्याय 12

### 12 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

#### 12.1 लोक प्राधिकरण को आवंटित बजट की सूचना वर्ष 2005-06

#### लोक प्राधिकरणों के लिये

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1.	ग्राम सेविकाओं के वेतन भत्ते						706500	441849	परियोजना अधिकारी
2.	शासकीय महिला सिलाई कढ़ाई केन्द्र						170500	76537	जिला कार्यक्रम अधिकारी
3.	अति गरीब गर्भवती महिलाओं को सहायता						220000	116000	जिला कार्यक्रम अधिकारी
4.	महिला जागृति शिविर						48000	46000	जिला कार्यक्रम अधिकारी
5.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पूरक पोषण आहार	6 माह से 6 वर्ष, गर्भ/ शिशु महिलाओं को पूरक पोषण आहार का वितरण					4068850	805764	जिला कार्यक्रम अधिकारी
6.	महिला एवं बाल कल्याण हेतु विविध अनुदान	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान की निरंतरता					190780	105000	जिला कार्यक्रम अधिकारी
7.	आयुष्मति योजना						130660	113000	जिला कार्यक्रम अधिकारी
8.	एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परीवीक्षण	आईसीडीएस का पर्यवेक्षण					626000	286755	जिला कार्यक्रम अधिकारी
9.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (विश्व बैंक)	6 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भ, शिशु, माताओं को छह सेवायें का प्रदाय					14585500	5466051	परियोजना अधिकारी
10.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (गैर विश्व बैंक)	उपरोक्तानुसार					7881900	3236961	परियोजना अधिकारी
11.	बालिका समृद्धि योजना						700000	0	जिला कार्यक्रम अधिकारी

**अध्याय 13 (मैनुअल -12)**  
**13-अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति**  
**सूचना के अधिकार अन्तर्गत विभाग संबंधित जानकारी 2005-06**

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	समापन की अनुमानित दिनांक	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन के लिये जिम्मेवार अधिकारी
1.	शासकीय महिला सिलाई केन्द्र	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण	वर्ष 1986 से संचालित	निरंतर	अधीक्षिका/ जिला कार्यक्रम अधिकारी
2.	अति गरीब गर्भवती महिलाओं को सहायता	गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता प्रदान करना	वर्ष 2004-05 से संचालित	निरंतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी
3.	महिला जागृति शिविर	अधिकारों, विकास की गतिविधियों के प्रति चेतना जागृत करना	वर्ष 1986 से संचालित	निरंतर	जिला काय
4.	आयुष्मति योजना	ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिला/बालिका अथवा कुपोषित बालिकाओं को निशुल्क चिकित्सा सहायता	वर्ष 1991 से संचालित	निरंतर	जिला काय
5.	बालिका समृद्धि योजना	बालिकाओं के जन्म के प्रति भेदभाव समाप्त करना। पूर्ण अधिकार व शिक्षा हेतु प्रेरित करना।	वर्ष 1997 से 2003 एवं वर्ष 2005-06 से संचालित	निरंतर	

**दत्तक पुत्री शिक्षा योजना**

- उद्देश्य** – ऐसी बालिकायें जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती और उनके माता-पिता उनसे आर्थिक उपार्जन के कार्य कराते हैं, को जन सहयोग से आर्थिक सहायता दिलाई जाना ताकि ऐसी बालिकायें पढ़ाई प्रारंभ कर सकें।
- पात्र हितग्राही-**  
 अ- ऐसी बालिकायें जिन्होंने गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया है।  
 ब- जो स्कूल में पढ़ रहीं हैं परन्तु गरीबी के कारण उनके स्कूल छोड़ने की संभावना है।  
 स- वे बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गई हैं।
- योजना व्यक्ति** – कोई भी व्यक्ति दत्तक ले सकता है। दत्तक लेने वाला प्राथमिक शाला वाली बालिका के लिये 40 रूपया प्रतिमाह की राशि दस माह तक बालिका के पिता और अभिभावक को प्रदाय करेगा। राशि सीधे बालिका के माता-पिता को या जिला कलेक्टर (दत्तक पुत्री शिक्षा योजना) के नाम से खोले गये खाते में नगद जमा कर सकता है। यह राशि संबंधित बालिका के माता पिता या अभिभावक को जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से वितरित की जाती है। समाज सेवी संस्थायें भी इस योजना में बालिकाओं को दत्तक ले सकती हैं।
- कार्यक्षेत्र-चयन** – संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिये। बालिका का चयन स्कूल के प्रधानाध्यापक, ग्रामसेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम के प्रभावशील व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है।
- संपर्क** –  
 1. ग्राम स्तर पर – स्थानीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक से।  
 2. विकासखंड स्तर पर – विकासखंड शिक्षा अधिकारी से।

## राष्ट्रीय मेटरनिटी बेनीफिट योजना

उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी और ग्रामीण परिवार की गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिये आर्थिक सहायता सुलभ कराना ।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"><li>● योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण और शहरी परिवारों की गर्भवती माताओं को प्रसव से 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है ।</li><li>● यह राशि प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पूर्व एक मुश्त दी जाती है ।</li><li>● भारत सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इस योजना की राशि भारत सरकार सीधे जिला पंचायतों को दी जाती है ।</li></ul>
पात्र हितग्राही	<ul style="list-style-type: none"><li>● योजना की सहायता के लिये पात्रता निम्नानुसार निर्धारित है –</li><li>● गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष अथवा अधिक हो ।</li><li>● गर्भवती महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की हो ।</li><li>● सहायता राशि केवल प्रथम दो जीवित जन्म तक ही देय होती है ।</li></ul>
हितग्राही चयन प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"><li>● पात्र गर्भवती महिला को योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन देना होता है ।</li></ul>
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"><li>● ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त आवेदन पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर फैसला करती है । शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय को स्वीकृति के अधिकार हैं ।</li><li>● स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर आवश्यक निर्णय लेते हैं ।</li><li>● अस्वीकृत की दशा में आवेदिका को स्पष्ट कारण भी बताना आवश्यक है ।</li></ul>
सम्पर्क	<ul style="list-style-type: none"><li>● महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय के प्रतिनिधि ।</li></ul>

## बालिका समृद्धि योजना

उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"><li>● गरीब परिवार में जन्मी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बालिका को सर्वांगीण उन्नति के अवसर देकर समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना ।</li></ul>
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"><li>● यह योजना 2 अक्टूबर 1997 में संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। गरीब परिवार की महिला द्वारा 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्मी बालिका को 500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिये आवेदन दिया जा सकता है । बालिका को शिक्षा के लिए 6 वर्ष की आयु के बाद वार्षिक छात्रवृत्ति भी इस योजना में दी जाने का प्रावधान है ।</li><li>● संपूर्ण टीकमगढ़ जिला योजना का कार्यक्षेत्र है ।</li></ul>
पात्र हितग्राही	<ul style="list-style-type: none"><li>● गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला और अगस्त 1997 के बाद जन्मी बालिकायें ।</li></ul>
हितग्राही चयन प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"><li>● परिवार के कुल बच्चों में से दो बालिकाओं को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है ।</li></ul>
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"><li>● ग्राम पंचायत नगर पालिका द्वारा पात्र हितग्राही का आवेदन प्राप्त कर क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रेषित किया जाता है ।</li></ul>
सम्पर्क	<ul style="list-style-type: none"><li>● महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी ।</li></ul>

## आयुष्मति योजना

उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की महिलाओं और बालिकाओं को बीमार होने पर उपचार और पौष्टिक आहार का प्रबंध करना ।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"><li>● इस योजना में भूमिहीन परिवार की अस्वस्थ महिला और बालिका को एक सप्ताह तक उपचार के लिये चिकित्सालय में दाखिल रहने पर 400 रुपये तक की सहायता, दवाइयों और पौष्टिक आहार के लिये दी जाती है ।</li><li>● एक सप्ताह से अधिक की अवधि की स्थिति में सहायता राशि 1000 रुपये प्रति रोगी दी जाती है ।</li><li>● सहायता राशि उपचार के लिये दवायें, अतिरिक्त आवश्यक पौष्टिक आहार और फल तथा रोगी के साथ आये परिजन को दिन में भोजन की व्यवस्था पर व्यय की जा सकती है ।</li><li>● इस योजना में रोगी के परिजन के ठहरने के लिये जिला चिकित्सालय परिसरों में विश्रामालय बनाये गये हैं । योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है ।</li></ul>
पात्र हितग्राही	<ul style="list-style-type: none"><li>● ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिला या बालिका जो अस्वस्थ हो और उपचार के लिये प्रदेश के मेडीकल कालेज के अस्पताल या जिला चिकित्सालय में दाखिल हुई हो अथवा अति कुपोषित बालिका ।</li></ul>
संपर्क	<ul style="list-style-type: none"><li>● महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी ।</li></ul>

## अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व सहायता राशि के लिये योजना (नवीन योजना)

उद्देश्य		अति गरीब महिलाओं को प्रसव के पूर्व आर्थिक सहायता के लिये यह योजना तैयार की गई है । इस योजना का उद्देश्य अति गरीब महिलाओं को प्रसव के पूर्व स्वयं ही देखभाल और प्रसव के लिये होने वाले व्यय की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति की जाना है ।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र		अति गरीब महिलाओं को प्रथम दो जीवित बच्चों के प्रसवों तक प्रति प्रसव रुपये 500/- की प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना । योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला है ।
पात्र हितग्राही		योजना की सहायता के लिये पात्रता निम्नानुसार निर्धारित है –
	1-	गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष या अधिक हो ।
	2-	सहायता राशि केवल प्रथम दो जीवित बच्चों के प्रसवों तक देय होगी ।
	3-	गर्भवती महिला का परिवार गरीबी रेखा के नीचे अत्यन्त गरीब हो एवं अति गरीब के लिये पूर्व में कराये गये सर्वेक्षण में पंजीकृत हों अथवा नीला राशन कार्डधारी हो ।

### अध्याय 14 (मैनुअल 13)

14- रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण- निरंक

### अध्याय 15(मैनुअल 14)

15- कृत्यों के लिये निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम-

क्र०	योजना का नाम	नियम /निर्देश	मानक नियम
1.	अवकाष नियम	म०प्र० अवकाष नियम 1977	नियमों में स्थापित मानकों के अनुसार
2.	पेंशन नियम	म०प्र० पेंशन नियम 1976	..
3.	विभागीय जांच	म०प्र० विभागीय जांच नियम 1966	..
4.	भविष्य निधि	म०प्र० भविष्य निधि नियम 1955	..
5.	सिविल सेवा	म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965	..
6.	लेखा	वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1	..
7.	..	वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2	..

## अध्याय 16

- 16- इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाये –  
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित मैनुअल में जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगी ।

## अध्याय 17

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

### 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था—

1. अखबारों के द्वारा
2. सूचना पटल
3. अभिलेखों का निरीक्षण
4. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
5. अन्य प्रचार प्रसार साधन जैसे जन जागरण षिविरों का आयोजन तथा सदभावना षिविरों का आयोजन

## अध्याय 18 अन्य उपयोगी जानकारियां

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है जिसे 16 जून 2005 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत कानूनी दर्जा दिया गया है ।

उक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन नीतिगत निर्णय के अनुसार शासन के द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों तथा निर्णयों में पारदर्शिता लाई जाने एवं आम व्यक्ति को इस पारदर्शिता के संबंध में निर्णयों के आधारों की जानकारी देने के उद्देश्य से अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इस परिपत्र में उल्लेखित निम्नलिखित विषयों से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन आवेदक के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात किया जा सकेगा । इसके लिये निर्धारित आवेदन / शुल्क जमा करने के पश्चात अधिकतम तीस दिनों की समय सीमा निर्धारित की जाती है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित उप समिति के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी –

- आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र-1 में वांछित जानकारी दिया जाना होगा । आवेदन देने पर उसे पावती प्राप्त होगी ।
- आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा यदि वह जानकारी डाक से प्राप्त करना चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड/ यूपीसी/ डाक व्यय सहित लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ संलग्न करना होगा ।
- आवेदन पत्र विभाग/ कार्यालय से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/ कार्यालय को अंतरित करते हुये आवेदक को सूचित करेगा । ऐसे अंतरित किये गये आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय सीमा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को आवेदन पत्र संबंधित विभाग/ कार्यालय को प्राप्त होगा ।
- सूचना के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 48 घण्टे में सूचना प्रदाय की जाने पर सफेद रंग का आवेदन तथा 30 दिवस में सूचना प्रदान की जाने के लिये पीले रंग का आवेदन भरा जाना होगा, परन्तु समय का निर्धारण लोक सूचना अधिकारी करेगा, कि मांगी गई सूचना कितने घंटे/ दिवस में दी जानी है ।
- आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के उपरांत विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु तैयार निर्धारित समय सारणी अनुसार की जावेगी ।
- आवेदन प्राप्ति की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज की जावेगी ।
- निराकरण होने पर अन्य पंजी में दर्ज की जायेगी कि सूचना प्रदाय की जा चुकी है या निराकृत हो चुका है ।

- 18.1 (1) विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय (आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये पूरक पोषण आहार) तथा उर्पाजन के निर्देशों की प्रतिलिपियां ।
- 18.2 (1) सूचना प्राप्त करने के लिये (प्रतिलिपियां प्राप्त करने/ अभिलेख का अवलोकन करने के लिये) कार्यालय प्रमुख को आवेदन करना होगा ।
- (2) अभिलेखों की प्रतिलिपियां देने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है –
- | पेपर का साईज   | निर्धारित शुल्क |
|--|-----------------|
| ए-4 साईज पेपर की एक प्रति (एक ओर)                    | रु. 2-00 रूपया  |
| ए-3 साईज पेपर की प्रति (एक ओर)                       | रु. 4-00 रूपया  |
| साधारण नस्थी की हस्तलिपि प्राप्त करने पर (एक पृष्ठ ) | रु. 5-00 रूपया  |
- (3) चाही गई सूचना के संबंध में सादे कागज पर आवेदन करना होगा ।
- (4) सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन कर्ता यदि चाहे तो तीन सप्ताह के अंदर उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित उच्च अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

**समाप्त**